झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–239 वर्ष 2017

नारायण प्रसाद गुप्ता, पे0 स्वर्गीय भोला साव, निवासी–डी0एस0 कॉलोनी मोड़, हिरापुर, डाकघर–हिरापुर, थाना–हिरापुर, जिला–धनबाद .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य, द्वारा उपायुक्त, धनबाद, डाकघर–धनबाद, थाना–धनबाद, जिला–धनबाद

2. भूमि सुधार उप–समाहर्ता, धनबाद, डाकघर–धनबाद, थाना–धनबाद, जिला–धनबाद

3. खेतु माझी, पे0 स्वर्गीय सोमार मांझी, निवासी–हिरापुर, डाकघर–हिरापुर, थाना–हिरापुर, जिला–धनबाद .... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं के लिए :– श्री अतनु बनर्जी, जी0ए0

2/11.04.2018 राज्य की ओर से उपस्थित श्री अतनु बनर्जी, जी0ए0 प्रस्तुत करते हैं कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित किया गया है और भूमि को बहाल करने का निर्देश दिया गया है। उन्होनें कहा कि उपरोक्त तथ्य के मद्देनजर, यह रिट आवेदन इस घोषणा के लिए है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 71 ए को धनबाद जिले में लागू नहीं किया जा सकता है, अब अकादमिक मुद्दा बन गया है।

श्री बनर्जी ने उपायुक्त द्वारा विविध वाद सं0–01/2016 में पारित दिनांक 09.09.2017 के आदेश की एक प्रति इस न्यायालय को दिया। उसको अभिलेख में रखा जाता है।

आदेश का अध्ययन करने के बाद, मैनें पाया कि याचिकाकर्त्ता की अपील को गुणागुण के आधार पर खारिज कर दिया गया है और भूमि को पुनःस्थापित करने का निर्देश दिया गया है। इस प्रकार श्री बनर्जी का निवेदन सही है कि यदि यह रिट आवेदन सुना जाता है, तो यह केवल एक शैक्षणिक मुद्दे को तय करने के लिए होगा।

इस दृष्टि से, मैं इस रिट एप्लिकेशन में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। याचिकाकर्त्ता इस मुद्दे को उचित मंच के समक्ष उठाने के लिए स्वतंत्र है, यदि वह प्राधिकरण के समक्ष कोई संशोधन दायर करने का इरादा रखता है। इस मामले की गुणागुण में प्रवेश किए बिना, यह रिट एप्लिकेशन संबंधित प्राधिकारी के समक्ष सभी बिंदुओं को उठाने की उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ खारिज किया जाता है।

(आनंदा सेन, न्याया0)